भारत सरकार
संचार एवम् सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
1115, एलआर सेल, संचार भवन
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

सं. 815-66/98-एलआर(खण्ड-II)(ख)

दिनांक 29-05-2006

पूर्ववर्ती वाणिज्यिक वी सैट प्रचालक(एनटीपी-99 में स्थानान्तरित)

विषयः- दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए वाणिज्यक वी-सैट लाईसेंस में संशोधन

संदर्भः- (I) वाणिज्यक वी सैट लाईसेंस सं. .... दिनांक ....
(II) लाईसेंस करार संशोधन सं. .... दिनांक ....

लाइसेंस करार की अनुसूची ग भाग-II "लाइसेंसधारक का दायित्व" में पैरा 1.12 अंतःस्थापित करने के लिए लाईसेंस सं. .... दिनांक .... को संशोधित किया गया है। अंतःस्थापित पैरा सं. 1.12 निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः-

1.12 <u>लाईसेंसधारक कम्पनी का स्वामित्व</u>

लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सम्पूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय, लाइसेंस धारक कम्पनी में कुल विदेशी इक्विटी, कुल प्रदत्त ईक्विटी की एफडीआई के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

(i) लाइसेंस धारक कम्पनी में लाइसेंसधारक कम्पनी द्वारा जैसा कि स्पष्ट किया गया है, शेयरधारिता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	प्रवर्तक/भागीदार का नाम	भारतीय/विदेशी	शेयर प्रतिशत	निवल मूल्य
1				
2				
3				

(ii) जैसा कि लाईसेंसधारक कम्पनी द्वारा स्पष्ट किया गया है, लाईसेंसधारक कम्पनी के प्रवर्तक/भागीदार भारतीय कम्पनियों की शेयरधारिता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	प्रवर्तक/भागीदार का नाम	भारतीय/विदेशी	शेयर-प्रतिशत	निवल मूल्य
1				
2				
3				

1.12(क) कुल संयुक्त विदेशी धारिता, परन्तु यह विदेशी संस्थानिक निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीयों(एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों(एफसीसीबी), अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स(एडीआर), ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स (जीडीआर), परिवर्तनीय तरजीही शेयरों, भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कम्पनियों जिनमें उनकी नियंत्रक कम्पनियां इत्यादि शामिल हैं द्वारा किये गये निवेश तक ही सीमित न हो, को शामिल करते हुए समानुपातिक विदेशी निवेश जिसे इसके बाद एफडीइ कहा गया है, की सीमा 74% से अधिक नहीं होगी। 74 प्रतिशत विदेशी निवेश नियंत्रक कम्पनी के माध्यम से अथवा प्रचालन कम्पनी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है और बच रहे 26 प्रतिशत शेयर निवासी भारतीय नागरिकों अथवा भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में होंगे (अर्थात् विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत से अधिक न हो और प्रबधंन भारतीय स्वामियों के पास हो)। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी भारतीय कम्पनी के समानुपातिक विदेशी हिस्से की गणना भी 74% की अधिकतम सीमा में की जाएगी। तथापि, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की कुल धारिता में विदेशी हिस्से को 'भारतीय' धारिता के रूप में माना जायेगा। लाइसेंसधारक से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी विदेशी धारिता की स्थिति स्पष्ट करे और प्रमाणित करें कि विदेशी पूंजी निवेश अर्धवार्षिक आधार पर 74% की अधिकतम सीमा के भीतर ही है।

1.12 ख कम्पनी के निदेशक मण्डल में अध्यक्ष प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ) सहित अधिसंख्य निदेशक निवासी भारतीय नागरिक होंगे। इन पदों पर नियुक्ति महत्वपूर्ण भारतीय निदेशकों के परामर्श से निवासी भारतीय नागरिकों में से की जाएगी। महत्वपूर्ण पूंजी निवेशक की परिभाषा नीचे पैरा 1.12 छ(II) में दी गयी है।

1.12 ग शेयरधारक करार (एसएचए) में विशिष्ट रूप से यह शर्त शामिल होगी कि निदेशक मण्डल में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ) सहित अधिसंख्य निदेशक निवासी भारतीय नागरिक होंगे और इसमें यह भी परिकल्पना होगी कि लाइसेंस करार की शर्तो का अनुपालन हो।

1.12 घ 49 प्रतिशत तक निदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः प्रकिया आधार पर जारी रहेगा। लाइसेंसधारक कम्पनी/ भारतीय प्रवर्तकों/पूंजीनिवेश कम्पनियों, जिनमें उनकी नियंत्रक कम्पनियां भी शामिल है, में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए फोरेन इन्वेस्टमेन्ट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, यदि इसके पास 74 प्रतिशत की समग्र सीलिंग पर शेयर धारिता है। एफ आई पीबी पूंजी निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि पूंजी निवेश किसी शत्रुता का भाव रखने वाले देशों से न आ रहा हो।

1.12 ड. एफआईपीबी द्वारा पूंजी निवेश के अनुमोदन में इस प्रतिबंधात्मक शर्त की परिकल्पना होगी कि कम्पनी को लाईसेंस करार का अनुपालन करना होगा।

1.12 च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय कानून के अध्यधीन होगा, न कि बाहरी देश/देशों के कानून के अध्यधीन।

1.12 छ (i) लाइसेंस में एक सर्वोपरि खण्ड होगा जो लाइसेंसदाता को कतिपय परिभाषित परिस्थितियों में लाइसेंस रद्द करने की शक्तियां प्रदान करता है।

(ii) यह सुनिश्चत करने के संबंध में कि कम से कम एक महत्वपूर्ण निवासी भारतीय प्रवर्तक निवासी भारतीय शेयर धारिता की समुचित धनराशि का अंशदान करे, ऐसा निवासी भारतीय प्रवर्तक लाइसेंसधारक कम्पनी की न्यूनतम 10 प्रतिशत ईक्विटी धारण करेगा।

(iii) कम्पनी को कम्पनी के संगम ज्ञापन के भाग के रूप में लाइसेंस करार का अनुपालन करना होगा। लाइसेंस करार का किसी भी प्रकरण का उल्लंघन, इस संबंध में कम्पनी को अपना कारोबार आगे ले जाने में स्वतः असक्षमता प्रदान करेगा। लाइसेंस करार का अनुपालन करने की ड्यूटी को भी संगम नियमावली का एक हिस्सा बनाया जाएगा।

(iv) मुख्य तकनीकी अधिकारी(सीटीओ)/मुख्य वित्त अधिकारी(सीएफओ) निवासी भारतीय नागरिक होंगे। लाइसेंसदाता निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा धारित महत्वपूर्ण पदों को पुनः अधिसूचित कर सकता है।

(v) कम्पनी निम्नलिखित को भारत से बाहर/ किसी व्यक्ति/स्थान को सूचना अंतरित नहीं करेगीः-

- उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखांकन सूचना (बिलिंग को छोडकर)(टिप्पणी यह सांविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय स्वरूप के प्रकटन पर प्रतिबंध नहीं लगाता)

- प्रयोक्ता सूचनाः और
- अप्रकटन करार पर हस्ताक्षर हो जाने पर जिसने लाइसेंस धारक कम्पनी की अवस्थापना सुविधाओं की संस्थापना, चालू करने का काम इत्यादि किया है उनके दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं /विनिर्माताओं को छोडकर उनकी अवस्थापना/नेटवर्क डायग्राम का ब्यौरा

(vi) कम्पनी अपने उपभोक्ताओं की सुलभ प्राप्य पहचान अवश्य उपलब्ध कराये।

(vii) भारत के भीतर के उपभोक्ताओं से भारत के भीतर के उपभोक्ताओं को किये जाने वाले किसी परियात (मोबाइल और लैंण्डलाइन) को भारत के बाहर किसी स्थान को नहीं भेजना होगा। इस प्रयोजनार्थ, स्वेदशी परियात के लिए कार्य कर रहे उपग्रहों की स्थान-स्थिति को भारत से बाहर नहीं माना जाएगा।

(viii) लाइसेंसधारक द्वारा अनुरक्षण/पुनर्मरम्मत के लिए देश के बाहर किसी उपस्कर विनिर्माता अथवा किसी अन्य एजेन्सी को कोई भी दूरस्थ अभिगम(आरए) प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, आपातिक साफ्टवेयर फेल होने (जैसे बूट-अप इत्यादि की खराबी) पर जिससे नेटवर्क का मुख्य हिस्सा लम्बी अवधि के लिए खराब हो रहा होगा, तो उसके लिए दूरस्थ अभिगम की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि निम्नलिखित पूरी हों:-

- जब दूरस्थ अभिगम प्रदान किया जाएगा तो उसे अभिज्ञात सरकारी एजेन्सी (आसूचना ब्यूरो) को अधिसूचित करना होगा।
- रिमोट ऐक्सेस पासवर्ड केवल निश्चित अवधि के लिए ही होगा और मूल उपस्कर विनिर्माता(ओईएम) विक्रेता के पूर्व अनुमोदित स्थानों से केवल सम्पर्कता के लिए होगा और विशेष रूप से केवल पुनर्मरम्मत/अनुरक्षाणाधीन उपस्करों के लिए होगा।
- दूरस्थ अभिगम का नियंत्रण अर्थात् ऐक्टिवेशन, डाटा अंतरण, समापन इत्यादि देश के भीतर ही होगा, न कि विदेश में दूरस्थ स्थानों में।
- सरकारी एजेन्सी को आनलाइन निगरानी के लिए लेनदेन के रिकार्ड करने हेतु सभी प्रकार की सहायता दी जानी होगी।
- कोई उपस्कर अथवा साफटवेयर जो समग्र निगरानी का हिस्सा बनता है, को किसी भी परिस्थिति में दूरस्थ अभिगम रखने की अनुमति नहीं होगी।

- इस खण्ड के अधीन प्रयुक्त शब्दों आपातिक साफटवेयर खराबी, नेटवर्क का मुख्य भाग और लम्बी अवधि को लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर परिभाषित करना होगा।

(ix) लाइसेंसदाता, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में लाइसेंसधारक कम्पनी के प्रचालन कार्य के प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ix) वायस और डाटा, की निजता बनाये रखने के संबंध में निगरानी रखना संघ सरकार के गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा दिये गये प्राधिकार पर होगा।

(x)परियात की निगरानी के लिए लाइसेंसधारक कम्पनी सुरक्षा एजेन्सियों के लेखा-बहियों के साथ-साथ अपने नेटवर्क और अन्य सूविधाओं की बेहिचक सम्पर्कता उपलब्ध कराएगी।

(xi) पैरा 1.1(क) छ में परिकल्पित लाईसेंस शर्तों का अनुपालन न होने के मामले में कम्पनी को दिये गये लाइसेंस/लाइसेंसों को रद्द मान लिया जाएगा और लाइसेंसदाता के पास निष्पादन/वित्तीय बैंक गांरटी/गारंटियों को भुनाने का अधिकार होगा और लाइसेंसदाता किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

1.12ज उर्पयुक्त 1.12क से 1.12ज में उल्लिखित शर्ते दूरसंचार सेवा/सेवाओं का प्रचालन कर रही मौजूदा कम्पनियों जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिक सीमा 49% थी, पर भी लागू होंगी।

आपसे अनुरोध है कि 02.07.2006 के पूर्व पूर्वोलिखित शर्तो की बिलाशर्त अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कृपया इसके साथ पैरा 1.12(i) व (ii) में अपेक्षित सूचना भी उपलब्ध करायें।

2. दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा 01.01.2006 से वाणिज्यिक वी-सैट नेटवर्कों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया हैं।

इस संबंध में दिनांक .... के वाणिज्यिक वी-सैट लाइसेंस सं. ....को दिनांक .... के खण्ड 1.0 के संशोधन सं. .... को निम्नानुसार पठन हेतु संशोधित कर दिया गयाः-

1.0 वित्तीय शर्तेः- वी-सैट सेवा का वार्षिक लाइसेंस शुल्क 31.12.2005 तक समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) (इसमें सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) भी शामिल है) 10% की दर से होगा। 01.01.2006 से वी-सैट सेवा का वार्षिक लाइसेंस शुल्क, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) (इसमें सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) भी शामिल है) का 6% होगा। एजीआर अनुबंध 1 में परिभाषित है।

(नवेन्द्र सिंह)
सहायक महानिदेशक(सैट- iv)

प्रतिलिपिः-

(i) उपमहानिदेशक(एलएफ), दूरसंचार(मुख्यालय), नई दिल्ली
(ii) सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

125